Form No. III

Qnl&vgdke

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **रतनलाल**

कार्यवाही अन्तर्गत :- **धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रे.वि.)** नं0 **081** सन् **2024**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी का सूचना-पत्र बाद तामील प्राप्त है जो कि शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। अप्रार्थी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना-पत्र का निवेदन किया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र का चित्त मन से शान्ति पूर्वक चिंतन-मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा विपक्षी की खातेदारी आराजीयात के खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा चुका है एवं प्रार्थी कम्पनी न्यायालय निर्णयानुसार मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी को किये जाने हेतु तैयार एवं तत्पर है किन्तु विपक्षीा द्वारा मुआवजा राशि के चैक प्राप्त नहीं किये जाने से तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/ 2024/1473 दिनांक 13.08.2024 से विपक्षी के नाम पर जारी अवितरित चैक इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने प्रेषित किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 164/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम नारायण वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 05.09.2023 से आराजीयात जैरबहस के खनन प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये **20,06,934/- अक्षरे बीस लाख छ हजार नौ सौ चौतीस रूपये मात्र** मुआवजा राशि का चैक अप्रार्थी द्वारा प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त चैक जो कि अप्रार्थी के नाम पर जारी किया गया है को प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जावें एवं निर्धारित मुआवजा राशि का सिविल डिपोटिज हेतु नवीन चैक जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद पालना के प्रार्थी कम्पनी द्वारा नवीन चैक प्रस्तुत करने पर पुनः पेश हों। -S/D- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 11.03.2025 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	